भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2049**

दिनांक 4 जुलाई , 2019 / 13 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय संपर्क योजना

2049. डॉ. भारती प्रवीण पवार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत नाशिक (ओजर) को वायुमार्ग से दिल्ली एवं अन्य मेट्रो शहरों से जोड़ने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास नाशिक (ओजर) विमानपत्तन से नयी दिल्ली के लिए बंद कर दी गई उड़ान सेवा को दोबारा शुरू करने के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या नाशिक (ओजर) विमानपत्तन के उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो नाशिक (ओजर) विमानपत्तन पर वायु यातायात को शुरू करने/बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अंतर्गत नाशिक (ओजर) से अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, गोवा, हिंडन और हैदराबाद के लिए मार्ग अवार्ड किए गए हैं। ग्रीष्म अनुसूची - 2019 के अनुसार, नाशिक (ओजर) को अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से जोड़ने वाली अनुसूचित हवाई सेवाएं आरंभ हो चुकी हैं। मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड नाशिक (ओजर) से दिल्ली के लिए एक उड़ान प्रचालित करे रही थी, जो एयरलाइंस द्वारा प्रचालनों के निलंबन की वजह से बंद हो चुकी है।
मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम का निरसन होने से, भारतीय घरेलू विमानन को अविनियमित किया जा चुका है। एयरलाइनें किसी भी विमान श्रेणी के साथ क्षमता शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छानुसार सेवा और प्रचालन के लिए बाजारों और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संबंध में, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहतर हवाई परिवहन सेवाएं हासिल करने के लिए सरकार ने मार्ग संवितरण दिशानिर्देश (आरडीजी) जारी किए हैं। तथापि, यातायात माग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, एयरलाइनों सरकार द्वारा जारी आडीजी के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार की नाशिक (ओजर) से दिल्ली के लिए बंद उड़ान को पुन: चालू करने का कोई योजना नहीं है।

(घ): आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मौजूदा असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों/हवाई पट्टियों और सिविल एन्कलेवों के पुनरुत्थान के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया है। तथापि, असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुत्थान 'माग आधारित' है, जो एयरलाइन प्रचालकों के साथ साथ विभिन्न रियायतें प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों की ओर से ठोस प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

नागर विमानन मंत्रालय ने आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत नाशिक (ओजर) के पुनरुत्थान के लिए पूंजी व्यय के लिए 17.67 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं।

*****